



कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर (म०प्र०)

क्रमांक / 365 / तीन-वित्त / 2020

छतरपुर, दिनांक 28.12.2020


:- विज्ञप्ति:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (मंत्रालय) भोपाल के परिपत्र क्रमांक एल-17/1/2000/ब-7/चार दिनांक 14.1.2000 के अनुसार निष्प्रायोजित घोषित किये गये निम्न शासकीय वाहन को विक्रय किये जाने हेतु मुहर बंद निविदायें कालम नं० 7 में अंकित कार्यालयीन पते पर आगन्तित की जाती है। निविदाओं के संबंध में शर्तें एवं वाहन का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रमांक | वाहन क्रमांक | वाहन का प्रकार | माडल वर्ष | आफसेट प्राईज | अमानत राशि | निविदा जमा करने का पता /स्थान |
|---------|--------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|
| 1 | एम.पी.-2आर.डी 1612 | वेलरो | 2007 | 103000 | 10300 | कलेक्ट्रेट छतरपुर |
| 2 | एम०पी०'०२ 3800 | एम्बेस्डर | 1998 | 20500 | 2050 | कलेक्ट्रेट छतरपुर |


:-शर्तें:-

- निविदा दाता को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-
- 1- वाहन के लिये निविदा प्रस्तुत करें। निविदा के साथ उपर उनके सम्मुख अंकित अनुसार अमानत राशि जिला नाजिर कलेक्ट्रेट छतरपुर के पास जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी जिस पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
 - 2- निविदा के लिफाफे के उपर किये जाने वाले वाहन का क्रमांक एवं अमानत राशि जमा करने की रसीद क्रमांक एवं दिनांक दर्शाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।
 - 3- निविदाओं का विक्रय जहां है, जैसा है के अनुसार किया जा रहा है। अतः जो भी निविदा दाता वाहनों का अवलोकन करना चाहते हैं वह कार्यालयीन समय में जिला नाजिर कलेक्ट्रेट छतरपुर से सम्पर्क कर वाहन को देखा जा सकता है।
 - 4- इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 28.12.2020 को 2 बजे दोपहर तक कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रेट छतरपुर के समक्ष में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी दिन 4 बजे कार्यालय प्रमुख एवं गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी।
 - 5- जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जायेगी, उससे निविदा खुलने के दिन सहित तीन दिवस के अन्दर सम्पूर्ण राशि जिला नाजिर कलेक्ट्रेट छतरपुर के पास नगद जमा करना होगी, तत्पश्चात ही वाहन की डिलेवरी दी जायेगी और नियत समय-सीमा में राशि जमा नहीं होने की दशा में अमानत राशि राजस्वत कर्त ली जावेगी और वाहन की पुनः नीलामी की जावेगी।
 - 6- निविदा स्वीकार करने या नहीं करने का अंतिम निर्णय संबंधित कलेक्टर का होगा, जो सभी को मान्य और बंधनकारी होगा।


कलेक्टर
जिला-छतरपुर (म०प्र०)

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव म0प्र0शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 2 प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड परिसर भोपाल ।
- 3 संचालक, जन सम्पर्क संचालनलय (विज्ञापन शाखा) बेनगंगा रोड भोपाल की ओर प्रचार-प्रसार हेतु। (कृपया प्रकाशन पेपर की कटिंग भेजने का कष्ट करें)
- 4 कमिश्नर सागर संभाग सागर म0प्र0 ।
- 5 अपर कलेक्टर छतरपुर म0प्र0 ।
- 6 सर्व कलेक्टर्स मध्यप्रदेश की ओर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
- 7 सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/तहसीलदार जिला छतरपुर की ओर प्रचार हेतु।
- 8 सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय छतरपुर की ओर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
- 9 सहायक संचालक जन सम्पर्क जिला छतरपुर की ओर प्रचार-प्रसार हेतु। (अनिवार्य रूप से प्रकाशन पेपर की कटिंग भेजना सुनिश्चित करें।)
- 10 Dio Nic की ओर जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 11 कार्यालय अधीक्षक, कलेक्ट्रेट की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12 जिला नाजिर कलेक्ट्रेट छतरपुर की ओर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ एवं जो निविदाकर्ता वाहन का अवलोकन करना चाहते हैं तो वाहन का अवलोकन करावें।


कलेक्टर
जिला-छतरपुर (म0प्र0)
जिला-छतरपुर म0प्र0